विभाग के नकारा सामान को नीलाम करने की नियम एवं शर्तें

1. खरीदार/बोली देने वाले व्यक्गित के द्वारा 10,000/—रू0 राशि कार्यालय के कैशियर के पास जमा करवाई जाएगी एवं कैशियर के द्वारा इस राशि की कच्ची रसीद सम्बन्धित व्यक्गित को दे दी जाएगी और नीलामी समाप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित बोलीदाता/खरीदार के द्वारा जमा करवाई गई राशि को कच्ची रसीद वापिस देने पर उसे वापिस दे दिया जाएगा।
2. कार्यालय का जो सामान नीलाम किया जाना है उसमें से कुछ टूटी हालत में है एवं सामान को एक ढेर में रखा जाना है इसलिए उपलब्ध सूची के आधार पर सामान का मिलान करवाया जा पाना सम्भव नहीं है। अतः विभाग द्वारा बोलीदाताओं को इस सामान की सूची के आधार पर सामान का मिलान करवाने के लिए कोई भी बोलीदाता/व्यक्गित बाध्य नहीं करेगा और न ही विभाग के द्वारा आपत्ति को स्वीकार किया जाएगा।
3. बोलीदाता को सामान जैसा है उसी स्थिति में उठाने की अनुमति दी जाएगी।
4. कार्यालय का सभी पुराना सामान एक स्थान पर ही रखा हुआ होगा इसलिए इस सभी सामान की बोली एक ही व्यक्गित को लगाने की अनुमति होगी इसमें ऐसा नहीं किया जाएगा कि सामान को अलंग—अलग बोलीदाताओं/खरीदारों को नीलाम किया जा सके।
5. सफल बोलीदाता के द्वारा बोली समाप्त होने के साथ ही कुल राशि का 25 प्रतिशत भाग कार्यालय में जमा करवाना होगा और शेष राशि 48 घण्टे के अन्दर—अन्दर जमा करवाते हुए सामान उठाना होगा।
6. तय अवधि के दौरान राशि न जमा करवाने की स्थिति में फर्म के द्वारा जमा करवाई गई 25 प्रतिशत राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
7. सामान को उठाने एवं ले जाने की जिम्मेवारी बोलीदाता की ही होगी।
8. नीलामी समाप्त हो जाने के पश्चात् बोलीदाता के द्वारा दिए गए किसी भी प्रतिवेदन इत्यादि पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. विभाग को अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए नीलामी को रदद कर सकता है।